

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय आदेश सं०-100/2024

रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं०-161/2009 दि० 03.09.2009 में दिये गये निर्देशानुसार वाणिज्य विभाग/मुख्यालय/हाजीपुर के लिपिकीय संवर्ग के निम्नलिखित कर्मचारियों को अवर लिपिक, लेवल-2 से प्रवर लिपिक, लेवल-5 में पदोन्नति हेतु सुयोग्यता जाँच में सुयोग्य पाए जाने तथा इनके विरुद्ध डी०ए०आर०/एस०पी०ई०/विजिलेंस मामलों से मुक्त होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से तत्काल प्रभाव से प्रवर लिपिक, लेवल-5 में पदोन्नत कर उनके वर्तमान पदस्थापना स्थल पर पदस्थापित किया जाता है जो निम्न है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम (सर्व श्री/सुश्री)	समुदाय	वर्तमान पदनाम एवं कार्यस्थल	पदोन्नत पदनाम एवं पदोन्नति पर पदस्थापना स्थल
1	हर्षिता पाण्डेय	UR	अवर लिपिक (लेवल-2) प्रमुवाप्र कार्यालय/हाजीपुर	प्रवर लिपिक (लेवल-5) प्रमुवाप्र कार्यालय/हाजीपुर
2	सत्येन्द्र कुमार यादव	OBC	अवर लिपिक (लेवल-2) प्रमुवाप्र कार्यालय/हाजीपुर	प्रवर लिपिक (लेवल-5) प्रमुवाप्र कार्यालय/हाजीपुर

आर.बी.ई. संख्या-79/2017 के तहत यदि उपरोक्त कर्मचारी पदोन्नति पर वेतन निर्धारण निचले लेवल की अगली वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि से कराना चाहते हो तो वे अपना विकल्प एक माह के अंदर उचित माध्यम से दे सकते हैं। कर्मचारी का पदोन्नति पर वेतन निर्धारण कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मान्य होगी। कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट समय से वाणिज्य संवर्ग/कार्मिक विभाग एवं संबंधित बिल अनुभाग को प्रेषित की जाए।

- In terms of Railway Board's letter No. 2018-E(SCT)/I/25/9 date-28.12.2018, these order are provisional and subject to the final outcome of ongoing litigation/court cases on the subject.

(मनोज कुमार चौधरी)
सकाधि/ईएसएम
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर

सं०- ECR-HQ0PERS(COML)/19/2020-O/o Dy.CPO/HQ/ECR

दिनांक-21.05.2024

प्रतिलिपि:-निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु:-

01. प्रमुकाधि के सचिव-प्रमुकाधि महोदय को सादर सूचनार्थ।
02. प्रमुवाप्र के सचिव-प्रमुवाप्र महोदय को सादर सूचनार्थ।
03. प्रविस/पूमरे/हाजीपुर।
04. सकाधि/बिल/पूमरे/हाजीपुर।
05. सकाधि/एमपीपी/पूमरे/हाजीपुर।
06. संबंधित कर्मचारी एवं अभिलेख प्रति।

कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर